मृदा स्वास्थ्य कार्ड का किसान हित में महत्त्व

पूनम यादव[1*], दिनेश कुमार यादव[2] एवं बृजेश यादव[2]
[1]पशुधन और उत्पादन प्रबंधन विभाग, एस.के.एन.कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर
[2]भाकृअनुप-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
*संवादी लेखक का ई-मेलः deepmohan@outlook.com

कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में 17 फीसदी का योगदान करती है। कृषि सीधे तौर पर मिट्टी से जुड़ी है और यदि मृदा की गुणवत्ता उत्तम नहीं होगी तो फसल भी अच्छा नहीं होगी इसलिए भारत सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना फरवरी 2015 में चलाई गई। इसका कार्यन्वयन राज्य तथा केन्द्र सरकार के कृषि विभागों के माध्यम से किया जाता है। योजना पर होने वाले खर्च की 75 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार वहन करती है। राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य, अगले तीन सालों में 1345 रासायनिक प्रयोगशालाओं की मदद से, 14.5 करोड़ किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच करना है। इस योजना के तहत किसानो को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसमे किसानो की मृदा की गुणवता का परिक्षण किया जायेगा तथा साथ में उनको बताया जाएगा कि उसके खेत की मिट्टी को किस चीज की आवश्यकता है तथा उनके खेत में किस प्रकार की फसल लग सकती है । इससे मृदा में सन्तुलित मात्रा और फसल की आवश्यकता के आधार पर रासायनिक खाद डाली जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे खेतों में अधिक खाद डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और मृदा की गुणवता खराब नहीं होगी। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' के लिए उसका घोष वाक्य है- ''स्वस्थ धरा, खेत हरा''। अगर धरा स्वस्थ नहीं होती तो खेत हरा नहीं हो सकता है। किसान कितना ही उत्तम से उत्तम खाद और बीज डाल दें, धरती को पानी में डूबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होगी।

'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' क्या है ?

'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' एक रिपोर्ट है जो मृदा के गुणवता के बारे में जानकारी देता है। यह किसानो को अपने खेत के लिए 3 वर्षो में एक बार दी जाएगी। इसमें 12 मृदा मानकों का परीक्षण किया जाता है जो इस प्रकार है –नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, सल्फर, ज़िंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, बोरोन, जैविक कार्बन, पीएच तथा इ. सी. ।

'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' कैसे बनाये जाते है ?

किसानो के खेतो से मिट्टी के नमूने लेकर देश के विभिन्न मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। वहाँ उनका विभिन्न रसायनों द्वारा परीक्षण किया जाता है इसके लिए हर राज्य में सरकारी तथा प्राइवेट मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का गठन किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इस प्रकार बनाये जाते है –

(1) सबसे पहले मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करना।

(2) नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजना।

(3) विशेषज्ञ द्वारा मिट्टी की जाँच।

(4) जाँच के बाद परिणाम का विश्लेषण तथा व्याख्या।

(5) मृदा विशेषज्ञों द्वारा मृदा की गुणवत्ता तथा कमियों का आकलन।

निम्नलिखित स्थानों पर 12 मृदा मानको की जांच की जाती है -

- कृषि विभाग के स्वामित्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल) द्वारा या उनके कर्मचारी द्वारा।
- कृषि विभाग के स्वामित्व में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल) द्वारा परन्तु बाहरी स्त्रोत एजेंसी द्वारा।
- बाहरी स्त्रोत एजेंसी के एसटीएल द्वारा या उनके कर्मचारी द्वारा।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा।
- विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/वैज्ञानिक/विद्यार्थी द्वारा।

इसका प्रयोग किसान कैसे कर सकता है?

कार्ड में किसान के खेत की मृदा पोषक तत्व स्थिति के आधार पर सूचना दी हुई रहती है। मृदा में निहित तत्वों की मात्रा के आधार पर उर्वरक प्रकार तथा उसकी मात्रा के बारे में सिफारिश दी जाती है। इसके अलावा मृदा अम्लता तथा क्षारीयता के आधार पर किसानो को मृदा सुधारको की जानकारी दी जाती है, ताकि किसान मूल्यवान फसलो का कम लागत पर उत्पादन कर सके।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड का किसानो को फायदा

किसानो के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसे बहुत से अशिक्षित किसान भाई है जो मृदा की गुणवता तथा कमियों के बारे में नही जानते है। वो ये भी नही जानते की ज्यादा लाभ पाने के लिए कौन

सी फसल किस मृदा में लगाएं। वे सिर्फ अपने अनुभव से फसलो को उगाते है। ऐसे में 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' अपनी अहम भूमिका निभाता है। 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' से किसानो को होने वाले फायदे निम्नलिखित है-

(1) किसानो के मिट्टी की अच्छी तरह से जांच की जाती है जिससे वो उगाई जाने वाली फसल का सरलता से निर्धारण कर सकते है।

(2) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित रूप से मृदा की जांच की जाती है हर 3 सालो में एक रिपोर्ट दी जा रही है यदि इस दौरान कुछ मानको में बदलाव आता है तो वो अपडेट कर दिए जाते है ।

(3) किसान लम्बे समय तक अपनी मृदा के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रख सकते है।

(4) यह कार्ड लोगो के लिए ज्यादा सहायक साबित हो सकता है जब समय की अवधि में एक ही व्यक्ति द्वारा नियमित रूप से करवाया जाये।

(5) मृदा कार्ड किसानो की फसल तथा क्षेत्र के अनुसार उर्वरक की सही मात्रा उपयोग सिफारिश में सहायक है।

(6) कुछ मृदाओं में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हुए भी किसान उर्वरक का उपयोग करता है जिससे उर्वरक तथा पैसे दोनों की हानि होती हैं मृदा कार्ड से इन हानियों को रोका जा सकता है।

(7) अंततः मृदा स्वास्थ्य कार्ड ऊपर दिखाए गए कारणों से फसल की पैदावार व किसान की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

भारत के किसान लोग पूर्ण रूप से खेती पर निर्भर करते है। आने वाले समय में उनकी जरूरतों को देखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का दायरा बढ़ाया जाए। उसे राष्ट्रीय समग्र स्वास्थ्य कार्ड का नाम दिया जाए। उसके अन्तर्गत निम्न जानकारियाँ भी दी जानी चाहिए-

1. रासायनिक फसल उत्पादों के सेवन से कौन-कौन सी बीमारियों का खतरा है?

2. सन्तुलित खाद और कीटनाशकों के कारण प्रदूषित हुए भू-जल में कौन-कौन सी बीमारियों की सम्भावना का खतरा बढ़ गया है? समग्र स्वास्थ्य कार्ड में उन रसायनों और प्रभावित भू-जल के उपयोग से होने वाली बीमारियों से बचने के लिये सावधानियों का उल्लेख हो।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल

मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल का उद्देश्य राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त उर्वरक सिफारिशों अथवा आईसीएआर के द्वारा विकसित मृदा परीक्षण-फसल प्रतिक्रिया (एसटीसीआर) फॉर्मूले के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना और जारी करना है। किसान मिट्टी के नमूने और परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट के विवरण के साथ-साथ वेब पोर्टल www.soilhealth.dac.gov.in पर रजिस्टर कर सकते है। एक बार पंजीकरण होने के बाद किसान पोर्टल में मृदा गुणवता परीक्षण परिणाम, उर्वरक और पोषक तत्वों की सिफारिश तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का लम्बे समय तक रिकॉर्ड देख सकते है।